



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की गुरुवार, दिनांक 27.04.2023 को

अपराह्न 03.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 21.03.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(i)	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद	B.Com.-III year Computer Application	40	2022-23	<ol style="list-style-type: none"> डॉ. संजय कुमार, कंप्यूटर साइंस अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर डॉ. विजय अग्रवाल, शास. जे. यो. छत्तीसगढ़ महा. रायपुर डॉ. राजलक्ष्मी सेलट, वि.क.अ. उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
		B.A.- III Geography	40		

निरीक्षण तिथि : 25.03.2023

- समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता - शासकीय
- समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि - 11 एकड़
- इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि - शासकीय
- शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि - शासकीय
- महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं - स्वयं का
- महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता - अपर्याप्त (प्रक्रियाधीन)
- यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता - पर्याप्त
- प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता - 10 कंप्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है।
- प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता - अपर्याप्त। 1 और शिक्षक की आवश्यकता।
- ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता - ग्रंथपाल है। पाठ्यक्रम के अनुसार और पुस्तकों का क्रय करने की आवश्यकता है।
- महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ - Projector, Smart Board Wi-Fi की सुविधा है।
- यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है? - हाँ
- कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके -
 - एक कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है।
 - 10 और Computer क्रय करने की आवश्यकता है।
 - भूगोल एवं Computer प्रयोगशालाओं में 1-1 तकनीशियन एवं सहायक की आवश्यकता है।
 - संबंधित विषयों की नवीन पुस्तकें पाठ्यक्रम के अनुसार क्रय करने की आवश्यकता है।
 - Computer प्रयोगशाला में A.C. की आवश्यकता है।

VI. भूगोल प्रयोगशाला में नवीन उपकरणों की आवश्यकता है।					
VII. Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है।					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(ii)	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, कचना रोड, रायपुर	B.P.E.-IV year	40	2023-24	1. डॉ. सी.डी. अगाशे, शारीरिक शिक्षा अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. राजीव चौधरी, शारीरिक शिक्षा अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
<p>निरीक्षण तिथि : 17.04.2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – वैध है। 2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – 0.354 हे. अन्यत्र 2.025 उपलब्ध है। 3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – 35.00 लाख 4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – 26.11.2021 से वैध है। 5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – हाँ 6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – पर्याप्त है। 7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – पर्याप्त है। 8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – उपकरणों की खरीदी की जाए। 9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – धारा 28 में नियुक्ति की जाए। 10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – चतुर्थ वर्ष के लिए पुस्तकों की खरीदी की जाए। 11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध है। 12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है। 13. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – विषय से संबंधित पुस्तकों का क्रय किया जाना आवश्यक है। 					

03. विश्वविद्यालय प्रबंध संस्थान से प्राप्त नवीन अध्यादेश MASTER OF HOTEL MANAGEMENT के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय प्रबंध संस्थान में नवीन स्ववित्तीय पाठ्यक्रम MASTER OF HOTEL MANAGEMENT प्रारंभ किए जाने के अनुशंसा विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 25.04.2023 में किया गया है। इस हेतु प्रबंध संस्थान से प्राप्त नवीन अध्यादेश (Draft Ordinance) MASTER OF HOTEL MANAGEMENT (Under Choice Based Credit System) की छायाप्रति संलग्न है। विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

04. विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 21 की कंडिका 6 की उप-कंडिका (ii) में निम्नानुसार नवीन विषय समूह सम्मिलित किए जाने के संबंध में विचार करना –

(46) Physics, Chemistry, Bioscience

(47) Chemistry, Bioscience, Anthropology

(48) Physics, Electronics, Bioscience

(49) Chemistry, Statistics, Bioscience

(50) Chemistry, Bioscience, Biotechnology.

टीप: विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 21 की कंडिका 6 की उप-कंडिका (ii) में नवीन विषय समूह सम्मिलित किए जाने हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति की बैठक दिनांक 19.04.2023 के निर्णयानुसार – “विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 21 की कंडिका 6 की उप-कंडिका (ii) के सरल क्रमांक 46 में नये विषय समूह का सर्वसम्मति से निर्माण किया गया :-

(46) Physics, Chemistry, Bioscience

(47) Chemistry, Bioscience, Anthropology

(48) Physics, Electronics, Bioscience

(49) Chemistry, Statistics, Bioscience

(50) Chemistry, Bioscience, Biotechnology”

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

05. निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश सत्र 2022-23 के लिए प्रदान करने हेतु प्रकरण स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महावि. अभनपुर
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	आकांक्षा लायंस इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एवं एम्प्लूवमेंट, अवंती विहार, रायपुर

06. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

S. P. S. M. V.
27-11-23
कुलसचिव